तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज **रामेश्वरी देवी व अन्य बनाम पूरणमल** **दीवानी वाद संख्या 30/21** **सी.आई.एस सं. 09/2018**	नम्बर व तारीख अहकाम, जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15.09.2023	वकुलाय उपस्थित। अधिवक्ता वादीया ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 11 नियम 12 व 14 सी.पी.सी. बाबत प्रतिवादी से असल विक्रय पत्र दिनांकित 25.02.1971 व असल विक्रय पत्र दिनांकित 28.08.1968 प्रस्तुत करने हेतु प्रस्तुत किया। अधिवक्ता प्रतिवादी ने जाहिर किया कि उक्त दस्तावेज इनके कब्जे व आधिपत्य में नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रतिवादी को यह आदेश दिया जाता है कि वह आगामी पेशी पर प्रार्थना पत्र में वर्णित विक्रय पत्र प्रस्तुत करे अन्यथा स्वयं का इस बाबत शपथ पत्र प्रस्तुत करे कि दस्तावेज उनके कब्जे व आधिपत्य में नहीं है। अधिवक्ता प्रतिवादी पूरणमल के द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 8 नियम 1 (3) सी.पी.सी. का दिनांक 07.02.2023 को प्रस्तुत किया तथा कथन किया कि प्रतिवादी पूरणमल ने सैकेण्डरी स्कूल परीक्षा वर्ष 1983 में दी थी। जिसकी मूल अंक तालिका में जन्म तिथि 12.03.1964 है उक्त अंक तालिका जवाब दावा प्रस्तुत करते समय अस्त व्यस्त हो गई थी जो काफी तलाश करने पर अब मिल चुकी है। अतः उक्त दस्तावेज को रिकॉर्ड पर लिये जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता वादी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने पर कोस्ट की आपत्ति की गई। अतः प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 8 नियम 1 (3) सी.पी.सी. 500/— रूपये की कोस्ट पर स्वीकार किया जाकर उक्त दस्तावेज रिकॉर्ड पर लिया जाता है। अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा एक अन्य प्रार्थना पत्र आदेश 11 नियम 12 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. का भी प्रस्तुत किया जिसमें वादी सं. 1 के पति व वादी सं. 2 लगायत 6 के पिता स्व. बाबूलाल भारत संचार निगम लिमिटे में फोन मैकेनिक के पद पर कार्यरत थे और उन्होंने सेवारत रहते हुये दिनांक 07.06.2005 को परिचय पत्र बनवाया था उक्त परिचय पत्र वादी सं. 1 के कब्जे व अभिरक्षा में है तथा प्रतिवादी के पास उक्त दस्तावेज की फोटो प्रति है। अतः मूल दस्तावेज वादी सं. 1 से तलब किये जाने का निवेदन किया। उक्त प्रार्थना पत्र की पालना में वादी द्वारा बाबूलाल का चिकित्सा परिचय पत्र असल प्रस्तुत किया जो रिकॉर्ड पर लिया जाता है।	

	अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा दिनांक 25.04.2023 को धारा 65 ए साक्ष्य अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर बहस पक्षकार होना शेष है। अतः पत्रावली वास्ते बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 65 ए साक्ष्य अधिनियम हेतु दिनांक 21.10.2023 को पेश हो।	